न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 121

प्रकरण संख्या 77 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. हिम्मतसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी गढ़पुरा, तहसील कानोड़,उदयपुर।

..................प्राथीगण

बनाम

1. श्री शंभूसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत निवासी गढ़पुरा, तहसील कानोड़, उदयपुर।
2. श्री ललितसिंह पुत्र लंक्ष्मणसिंह जाति राजपुत निवासी गढ़पुरा, तहसील कानोड़, उदयपुर।
3. श्री दशरथसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपुत निवासी गढ़पुरा, तहसील कानोड़, उदयपुर।
4. श्री गोविन्दसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुत निवासी गढ़पुरा, तहसील कानोड़, उदयपुर।
5. श्री राजस्थान जरिये भूमिधारी तहसीलदार कानोड़ जिला उदयपुर (राज.)।

.............अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री मुकेश कुमार डांगी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक : 09.06.2022

1. प्रार्थी श्री हिम्मतसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति राजपुत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गढ़पुरा, पटवार हल्का अमरपुरा जागीर, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 35 की आराजी संख्या 69 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसमें प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है।

2. उक्त वर्णित भूमि का आज दिन तक कभी भी सीमांकन नहीं हुआ है एवं न ही पक्की पत्थरगढ़ी हुई है, जिससे आये दिन सीमा संबंधी विवाद पैदा होने की संभा[illegible]। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का इस कारण से सही [illegible] से विकास भी नहीं कर पा रहा है एवं फसलों को बचाने के लिए भी प्रार्थी [illegible] इस कृषि भूमि के चारो तरफ तारंबन्दी करवाना चाहता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र बिनाय दिनांक 13.04.2022 को पैदा हुआ जब प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के लिए कहा गया, तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए कहा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

3. अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कृषि आराजियात मौजा गढ़पुरा, पटवार हल्का अमरपुरा जागीर, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 35 की आराजी संख्या 69 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसका नियमानुसार सीमांकन कर पक्की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया विपक्षीगण को जरिय सूचना पत्र तलब किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा गढ़पुरा, पटवार हल्का अमरपुरा जागीर, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 35 की आराजी संख्या 69 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कानोड़ को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा गढ़पुरा, पटवार हल्का अमरपुरा जागीर, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 35 की आराजी संख्या 69 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:24 IST
Reason: SelfAttested

9/6/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)